न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 21/2023

GCMS Case No. : 2023/28

प्रार्थी –	बनाम	अप्रार्थी –
तहसीलदार रानी जिला पाली		1. श्रीमति उषा पत्नी मंशापुरी 2. श्री मगनपुरी पुत्र मंशापुरी 3. लीला पुत्री मंशापुरी जातिगण गुसाई निवासीगण बालराई हाल बिल्डिंग नम्बर 30 रूम नम्बर 301 मातोश्री नगर विमको नाका अम्बरनाथ दक्षिण जिला थाना महाराष्ट्र

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 29/01/2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत भू. आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी आदेश दिनांक 28.07.1975 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज मंशापुरी के पक्ष में ग्राम नवागुड़ा के वर्तमान खसरा संख्या 165/8 रकबा 1.2944 हैक्टेयर के आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा नवागुड़ा के वर्तमान खसरा संख्या 165/8 रकबा 1.2944 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.07.1975 को अप्रार्थी के पिता/पति को आवंटित की गई थी। आवंटी वर्तमान में राजस्व रेकर्ड अनुसार गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया कि आवंटी एवं वारिसानों का आवंटन से आदिनांक तक मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और आवंटी का व्यवसाय कृषि या सह कृषि नहीं है। आवंटी ने वक्त आवंटन गलत तथ्य आवंटन कमेटी के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया। वर्तमान में आंवटी ने आवंटन नियमों एवं शर्तों की पालना नहीं की है। इसलिये प्रार्थी का

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पारित जैर आवंटन आदेश को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि मौजा नवागुड़ा के वर्तमान खसरा संख्या 165/8 रकबा 1.2944 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.07.1975 को अप्रार्थी के पिता/पति मंशापुरी को आवंटित की गई थी। जैर आराजी पर मंशापुरी ने अपने जीवनकाल में एवं उसके पश्चात् उसके वारिसानों द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है और वर्तमान में कब्जा काश्त भी अप्रार्थीगण का ही है। आवंटी का पुत्र कृषि कार्य समाप्त होने के पश्चात् बोम्बे में नौकरी करता है तथा वर्षा ऋतु में अपने पैतृक गांव आकर जैर आराजी पर कृषि कार्य करते है। आवंटी ने कोई भी गलत तथ्य पेश कर उक्त आवंटन आदेश पारित नहीं करवाया है, मात्र आवंटी अनपढ़ होने से उक्त आवंटन को खातेदारी भूमि समझ बैठे, इस वजह से उक्त भूमि को खातेदारी दर्ज नहीं करवा सके। आवंटन कमेटी ने नियमानुसार सम्पूर्ण जांच के पश्चात् उक्त आवंटन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत है, अतः उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर प्रार्थना–पत्र भू. आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी आदेश दिनांक 28.07.1975 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज मंशापुरी के पक्ष में ग्राम नवागुड़ा के वर्तमान खसरा संख्या 165/8 रकबा 1.2944 हैक्टेयर के आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत् पेश किया है। सरकारी पैरोकार द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि आवंटी अथवा उसके वारिसानों का उक्त भूमि पर कभी भी वास्तविक कब्जा काश्त नहीं रहा। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर आराजी पर आवंटन के पश्चात् आवंटी तथा उसके बाद उसके वारिसानों का लगातार कब्जा काश्त है। इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि आवंटन दिनांक से लेकर आदिनांक तक आवंटी अथवा उसके वारिसानों का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं पाया गया। उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि वर्तमान में भूमि पर अन्य व्यक्तियों मोड़ाराम पुत्र पोमाराम एवं मांगीलाल पुत्र केसाराम जाति सिरवी निवासी नवागुड़ा का कब्जा काश्त पाया गया। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अथवा कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किए गए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आवंटी अथवा उसके वारिसानों का वास्तविक एवं सतत् कब्जा काश्त रहा हो। ग्राम नवागुड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार खसरा संख्या 165/8 में अप्रार्थीगण का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। जैर आराजी में अप्रार्थीगण का नाम होना मात्र प्रारम्भिक राजस्व प्रवष्टि है, जो स्वयं में वास्तविक कब्जा सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है। आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटी को भूमि पर स्वयं काश्त करना एवं निरन्तर कब्जा बनाए रखना आवश्यक था। यह शर्त राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970) के अधीन अनिवार्य प्रकृति की है। जब तक आवंटी नियमानुसार शर्तों का पालन नहीं करता, तब तक उसे केवल राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के अन्तर्गत गैर खातेदार के सीमित अधिकार ही प्राप्त होते हैं। प्रकरण में पटवारी की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा भूमि पर न तो वास्तविक कब्जा स्थापित किया गया और न ही निरन्तर काश्त की गई। भूमि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जाना इस तथ्य को और पुष्ट करता है कि आवंटी ने आवंटन की मूल एवं अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है, जो आवंटन निरस्तीकरण हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 13 (3–क) के अनुसार सलाहकार समिति की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम तीन सदस्य होगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में आवंटन आदेश पर केवल उपखण्ड अधिकारी पाली के ही हस्ताक्षर है, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है अर्थात् आवंटन कमेटी ने बिना किसी कोरम के जैर आवंटन ओदश पारित किया है। आवंटन आदेश पर सभी हस्ताक्षर नियम 13 के उप–नियम 1 के अनुसार गठित सलाहकार समिति के सदस्यों के अनुरूप नहीं है। यदि किसी आवंटन कमेटी द्वारा पारित आदेश के समय कम से कम आवश्यक सदस्य उपस्थित नहीं होते, तो वह निर्णय अवैध और निरस्त योग्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त AIR 2008 Raj 123 State of Rajasthan vs Bharat Lal में यह अंकित किया कि कोरम पूरा न होने पर समिति का निर्णय अमान्य होगा। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 2004 Raj 123 Bhanwar Lal vs State of Rajasthan के अनुसार सिवायचक भूमि के आवंटन में यदि समिति के न्यूनतम सदस्यों की सहमति या हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तो ऐसा आवंटन प्रक्रिया दोषपूर्ण और अवैध मानी जाती है। उक्त शर्त के अभाव में किया गया कोई भी आवंटन विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। हस्तगत प्रकरण में आवंटन कमेटी द्वारा जो कार्रवाई की गयी है, वह समर्थन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी का आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में किया गया जैर आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होने से यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा भू. आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी आदेश दिनांक 28.07.1975 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज मंशापुरी के पक्ष में ग्राम नवागुड़ा के वर्तमान खसरा संख्या 165/8 रकबा 1.2944 हैक्टेयर के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रानी प्रश्नगत आराजी का कब्जा बहक राज प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर पालना प्रस्तुत करें। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर पाली